न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

संख्या 23/19

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम

कावलवन्त कौर पुत्र w/o लक्ष्मण सिंह

जाति कम्बोज सिख साकिन 7 APM-A निर्णय दिनांक 16/4/19

इस प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

पटवारी हल्का 7 APM ने इस न्यायालय मं आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 7 APM-A के मु. नं. 297/423 के कि. नं. .... के कुल 3.822 है० रकबा राज पर कवलवन्त कौर पुत्र w/o लक्ष्मण सिंह जाति कम्बोज सिख साकिन 7 APM-A ने फसल रबी/खरीफ में जिन्स रकबा पर संवत 2075 काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी के आवेदन को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी प्रारूप में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में विनिर्दिष्ट भूमि का अंकन कर अप्रार्थी से यह आपेक्षा की गई थी, कि वह निर्धारित तिथि तक इस भूमि से अपना अधिभोग हटा लें, अन्यथा उपस्थित आकर ऐसा न करने का कारण बतावें। नोटिस अप्रार्थी पर विहित रिति से तामिल हुआ।

नोटिस के प्रत्युतर में, अप्रार्थी दिनांक 10/4/19 को उपस्थित आया। उसने लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रशनगत भूमि रकबा राज हैं। अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया है जिसके आधार पर उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा विधिपूर्ण साबित हो। अतः अप्रार्थी कवलवन्त कौर पुत्र w/o लक्ष्मण सिंह को चक 7 APM-A के मु.नं. 297/423 के 3.822 है० रकबा राज को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधियोग में लेने के कारण अतिधारी किया जाता है। इस अतिधार के लिये उस पर भू–राजस्व का 10 गुणा रूपये 305 अखरे रूप्ये तीन सौ पांच रूपये मात्र की शास्ती आरोपित किया जाता हैं भू. अभि. निरीक्षक को पूर्व में उक्त रकबे पर काश्त फसल को कुर्क करने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे, उसकी पुष्टि कि जाती है। भू. अभि. निरीक्षक को आदेश जारी हो कि कुर्क फसल सरेआम निलाम कर, बाद अनुमोदन राशि राजकोष में जमा करावें।

पटवारी हल्का को आदेश जारी हो कि शास्ती की मांग ढालबाछ में कायम, वसूली करें तथा अप्रार्थी को उक्त रकबा राज से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेवे। T.R.A. के 'घ' रजिस्टर में मांग कायम करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब व तफसील दाखिल दफ्तर हो।

(निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।)